न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु. नं0 ..... वर्ष .....

10.4.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 1262/2 व 1262/2/2 कुल किता-2 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 1892, 1893, 1894, 2099, 2100, 2101 व 2102 कुल किता-7 कुल रकबा 3.94 हैक्टर के बाबत अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 ने दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया था निर्माण की स्वीकृति दी है ।जबकि रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में जो दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया है वह केवल विक्रय इकरारनामा के आधार पर पेश किया है। इकरारनामा अपंजीकृत है जिस के आधार पर राजस्व न्यायालय में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता । साथ ही अदालत मातहत ने इस प्रकार का आदेश पारित कर भी दिया है तो उसे आदेश 39 नियम-3 सीपीसी के तहत 30 दिन में प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश पारित करने के

Web Copy - Not Official

करने के बाद आगे से आगे तारीख पेशी दी जा रही है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का भौतिक रूप से कोई कब्जा नहीं है। कब्जा के अभाव में स्थगन नहीं दिया जा सकता ।अतः अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावे । बहस के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 1474, आरबीजे (19) 2012 पेज-69, आरआरटी 2010(1)(एच0सी) पेज-433, आरआरटी 2017(2)पेज-1100 पेश कर प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील कैवियटकर्त्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट न तो विवादित आराजी का खातेदार है और न ही इनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है ।अपीलान्ट को पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि ये लोग ही हमें परेशान कर रहे है । रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध हमने कोई स्टे नहीं लिया है । अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि हमारा कब्जा नहीं है । हमारा कब्जा नहीं है तो फिर हमारी दिवार कैसे तौड दी अदालत मातहत ने केवल तौडी हुई दीवार के निर्माण के ही आदेश दिये है हम कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं ।इस आराजी के हम क्रेता है ट्रस्टी ने इस आराजी में से 595.5 वर्गगज भूमि दिनांक 27-6-89 को छोटेलाल पुत्र मिठुराम एवं दिनांक 1-9-90 को 1066.6 वर्गगज भूमि सुभाष चन्द पुत्र रामस्वरूप को बैचान की है जिस पर हमारा कब्जा है । अपीलान्ट कैसे कह रहा है हमारा कब्जा नहीं है ।ट्रस्टी से हमे कोई नुकसान नहीं । इस कारण ट्रस्टी को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।अदालत मातहत ने हमारा प्रार्थना प्रत्र प्रथम दृष्टया उचित एवं विधिक होने पर स्थगन आदेश दिया है जिसमें इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया

बहस बगौर समाहत की ~~ब~~ गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय एवं प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अदालत मातहत का आदेश अन्तरिम आदेश है जिसको आदेश-39 नियम 3"क" के अनुसार तीस दिन में निपटारा किया जाना चाहिये। अदालत मातहत ने प्रकरण में इस आदेश की कोई पालना नहीं की ।दूसरा प्रस्तुत प्रकरण में क्षति ग्रस्त चार दीवारी के निर्माण में बाधा कारित न करें का आदेश दिया है । स्थगन आदेश में निर्माण की ~~0~~ स्वीकृति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार खातेदारी भूमि पर दौराने दावा दिया जाना विधि संगत नहीं ।विवादित आराजी का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों ही खातेदार नहीं है खातेदार को पक्षकार भी नहीं बनाया यह तथ्य दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्य है।रेस्पोडेन्ट के विद्वान वकील का मुख्य तर्क रहा कि विवादित आराजी को हमने इकरारनामें से क्रय कर काबिज है । अपीलान्ट ही हमें परेशान कर रहा है। इस कारण अपीलान्ट को ही पक्षकार बनाया है ।रेस्पोडेन्ट का तथ्य मानने योग्य है । किन्तु उक्त आदेश अन्तरिम आदेश है जिसको आदेश-39 नियम-3क के अनुसार 30 दिन में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर न कर अन्तरिम आदेश को आगे से आगे बढाया है। प्रस्तुत नजीरों एवं आदेश-39 नियम-3क के अनुसार अन्तरिम आदेश होने से हम प्रकरण को इसी स्तर पर अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रार्थना पत्र का 30 दिन में अन्तिम रूप से निर्णय पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से 30 दिन में निर्णय पारित करें । अपीलान्ट/अप्रार्थीगण अदालत मातहत में 7 दिन के अन्दर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 19/4/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	